न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनवास जिला कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी - पूजा मीना, आर.जे.एस.

निय०फौज०प्रकरण संख्या - 207/14

C.I.S.NO. - 36/2015

राजस्थान राज्य **.....अभियोगी**

ब ना म

1. **छीतरलाल पुत्र देवा, जाति बंजारा (मफरूर दिनांक 05.02.2021 को)**
2. प्रकाश पुत्र विजयसिंह, जाति बंजारा
3. जगदीश पुत्र मांगीलाल, जाति बंजारा
4. मनोज पुत्र मंशाराम, जाति बंजारा

निवासीगण ढाबादेह, पुलिस थाना मोडक, जिला कोटा (राज०) ।

...अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 5, 6/8 गोवंश अधिनियम

उपस्थितः-

01. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से ।
02. श्री महेश कुमार मालव, अधिवक्ता, वास्ते अभियुक्त ।

-०::निर्णय::- दिनांक 13.07.2022

1. थानाधिकारी पुलिस थाना कनवास की ओर से अभियुक्तगण छीतरलाल, प्रकाश, जगदीश व मनोज के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 5, 6/8 गोवंश अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत आरोप पत्र का एतदद्वारा निस्तारण किया जा रहा है। **प्रकरण में अभियक्त छीतरलाल के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उसको दिनांक 05.02.2021 को मफरूर घोषित किया गया था। अतः उक्त निर्णय शेष मुल्जिमान प्रकाश, जगदीश, मनोज की हद तक किया जा रहा है।**

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री रामदयाल ने दिनांक 22.08.2014 को एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 22.08.2014 को जोधराज चौपदार व राजू राव, जगदीश, पप्पू चौपदार, पुखराज नागर, प्रेमजी वैष्णव थे। उन्हें आए दिन गौवंश की तस्करी करने वालों की निगरानी रखते है। कनवास जंगल में जिसकी निगरानी हेतु गये तो सावन भादौ डेम पर चार-पांच आदमी नजर आये। जिनको गोरक्षा दल ने रोका व गोवंश ले जाने वालों का नाम पता पूछा तो छीतरलाल, जगदीश, प्रकाश व मनोज बंजारा निवासी ढाबादेह के होना बताया। जिनसे गोवंश बछडों ले जाने बाबत पूछा तो कहा कि वे तो इधर-उधर से लाये है। गिनती की

कुल 36 बछड़े जिसमें 12 लाल रंग के 24 बछड़े सफेल कलर के थे। सभी बछड़े एक से तीन बर्ष के है। जिनमें से 8-10 बछड़े दो-दो के जोड़े में बंदे हुए थे। जिनको वध करने के लिए जंगल के रास्ते चूकने से एम.पी. की तरफ जा रहे थे इत्यादि इत्यादि।

3. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कनवास द्वारा प्रकरण संख्या 159/14 अपराध अंतर्गत धारा 5, 6/8 गोवंश अधिनियम में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण छीतरलाल, प्रकाश, जगदीश व मनोज के विरूद्ध धारा 5, 6/8 गोवंश अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. उक्त आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 5, 6/8 गोवंश अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण को धारा 5, 6/8 गोवंश अधिनियम के दण्डनीय अपराध पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपों से इंकार कर अंवीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात अभियोजनपक्ष की ओर से प्रकरण में पी.डब्ल्यू.1 रामदयाल, पी.डब्ल्यू.2 पप्पूलाल, पी.डब्ल्यू.3 पुखराज, पी.डब्ल्यू.4 डॉ.महावीर, पी.डब्ल्यू.5 राजू, पी.डब्ल्यू.6 प्रेमचंद, पी.डब्ल्यू.7 धनराज, पी.डब्ल्यू.8 सोनू सैन, पी.डब्ल्यू.9 सरदार सिंह, पी.डब्ल्यू.10 बीरिसिंह, पी.डब्ल्यू.11 जोधराज, पी.डब्ल्यू.12 नंदसिंह को पेश कर उनके बयानात लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी.2 फर्द जप्ती, प्रदर्श पी.3 लगायत प्रदर्श पी.6 फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम, प्रदर्श पी.7 सीआरपीसी 161 बयान पप्पूलाल, प्रदर्श पी.8 आपराधिक रिकॉर्ड, प्रदर्श पी.9 सीआरपीसी 161 बयान श्री प्रेमचंद, प्रदर्श पी.10 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी.11 नकल रपट, प्रदर्श पी.12 बछड़ो के निस्तारण हेतु, प्रदर्श पी.13 जप्त शुदा बछड़ों को गौशाला में रखे जाने बाबत्, प्रदर्श पी.14 फर्द सुपुदर्गी गोवंश पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

6. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अभियुक्तगण को समझाया जाकर उसके धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान मुलजिम लिये गये जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

7. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा दौराने बहस तर्क दिया गया कि अभियोजनपक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखिकीय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित

किये जाने का निवेदन किया गया।

9. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा दौराने बहस तर्क प्रस्तुत किये गये कि अभियुक्तगण को प्रकरण में झूंठा रंजिशवश फंसाया गया है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

10. प्रकरण के न्यायपूर्ण विनिश्चय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिंदु हैः-

1. क्या अभियुक्तगण को दिनांक 22.08.2014 को सावन भादौ डेम पर बछड़े ले जाते पाया गया जिनको ले जाने के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र एवं बछड़ों को ले जाने बाबत प्रयोजन पूछा गया तो उनके द्वारा न तो अनुज्ञप्ति पेश की गई ना ही उक्त बछड़ों के विषय में संतोषजनक जवाब सक्षम प्राधिकारी को दिया गया। इस प्रकार उन्होंने बिना अनुज्ञप्ति गोवंश का परिवहन किया?

2) यदि हॉं, तो अपराध हेतु समुचित दण्ड क्या होगा?

11. उक्त विचारणीय बिंदु को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। जिसके संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 12 गवाहान के बयान लेखबद्व करवाये गये है।

12. हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 5, 6/8 राजस्थान गौवंश संरक्षण अधिनियम 1995 का आरोप प्रश्नगत है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर न्यायालय को दर्शित है कि परिवादी रामदयाल द्वारा प्रदर्श पी.1 तहरीरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि दिनांक 22.08.14 को वह कनवास जंगल में अवैध गोवंश की तस्करी करने वालों की निगरानी हेतु सावन भादौ डेम पर गये थे। जहां पर चार पांच आदमी नजर आए। जिनको गोरक्षा दल ने रोका व नाम पता पूछा तो अपना नाम छीतरलाल, जगदीश, प्रकाश, मनोज होना बाताया। जिनसे गोवंश बछड़ा ले जाने बाबत पूछा तो कहा कि हम इधर उधर से लाये हैं। गिनती के कुल 36 बछड़े थे जिनमें 12 लाल रंग व 24 बछड़े सफेद रंग के थे। सभी बछड़े एक से तीन वर्ष के थे। जिनमें से आठ दस बछड़ों को दो दो के जोड़े में वध करने के लिए जंगल के रास्ते एमपी की तरफ ले जा रहे थे। उक्त गवाह बतौर साक्षी पी.डब्ल्यू.1 न्यायालय में परीक्षित हुआ है। उक्त गवाह तहरीरी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों से भिन्न कथन करते हुए जिरह में यह स्वीकार करता है कि उसने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। उसके सामने पुलिस ने कोई फर्द जब्ती प्रदर्श पी.2 नहीं बनाई। गोवंश ले जाने की सूचना उसने नहीं दी। यह बात सही है कि जब वह सावन भादौ डेम पहुंचे तो जंगल में बछड़े खुले जंगल में घूम रहे थे। सारे बछड़े खुले हुए थे।

यह बात सही है कि चारों मुल्जिमान को वह नहीं पहचानता। यह बात सही है कि जब उन्होंने जंगल में जाकर देखा तो गोवंश वध जैसी कोई स्थिति नहीं देखी। यह बात सही है कि उसने पुलिस को यह बात नहीं बताई कि बछड़ों को वध करने के लिए ले जाया गया हो।

13. इसी क्रम में अन्य चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू.2 पप्पू लाल के बयानों पर गौर करे तो उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अभियोजन कहानी के विपरीत साक्ष्य देता है। अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उसके सामने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। प्रदर्श पी.3 लगायत प्रदर्श पी.6 में पुलिस ने क्या लिखा पढ़ी की वह नहीं बता सकता। घटना का अन्य चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू.3 पुखराज की साक्ष्य पर गौर करे तो उक्त गवाह अपनी जिरह में यह स्वीकार करता है कि वह मुल्जिमानों को नहीं जानता। जब वे जंगल में पहुंचे तब बछड़े चर रहे थे। उसने थाने में कोई लिखित रिपोर्ट नहीं दी। इसी क्रम में घटना का अन्य चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू.5 राजूराव के बयानों पर गौर करे तो उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि बछड़े किसी वाहन में नहीं थे बल्कि खुले जंगल में ही थे। यह बात सही है कि यदि मुल्जिमान को उसके सामने खड़ा कर दिया जावे तो वह नहीं पहचान सकता। पुलिस में उसके कोई बयान नहीं हुए। यह कहना सही है कि बछड़े उनके घर के हो तो भी नहीं पहचान सकता। यह बात सही है कि रिपोर्ट उसने नहीं दी। प्रकरण का अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी.डब्ल्यू.6 प्रेमचंद भी प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नहीं करता। अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा जिरह किये जाने पर गवाह ने यह स्वीकार किया कि उस दिन बछड़े खुले जंगल में ही थे। उस दिन डेम के आसपास गांव के अन्य जानवर भी चर रहे थे। वहां पर चरवाहे लोग टापरियां बनाकर रहते हैं। पुलिस ने प्रदर्श पी.8 में क्या लिखा पढ़ी की वह नहीं बता सकता। प्रकरण में पी.डब्ल्यू.7 धनराज मीणा प्रकरण के औपचारिक साक्षी है, जो उसके द्वारा चार्जाशीट कता करने के संबंध में बयान देता है। दौराने प्रतिपरीक्षण उक्त गवाह की साक्ष्य अखंडनीय रही है। प्रकरण में अन्य चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू.8 सोनू के बयानों पर गौर करे तो उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि जिन बछड़ों को उन्होंने जब्त किया वे किसी वाहन में नहीं थे बल्कि जंगल में ही चर रहे थे। यह बात सही है कि उन बछड़ों का किसी भी साधन से परिवहन नहीं किया जा रहा था। यह बात सही है कि वह मुल्जिमानों को नहीं पहचानता। यह बात सही है कि बछड़े आपस में बंधे हुए नहीं थे। यह बात सही है कि फरियादी रामदयाल ने उन्हें रंजिशवश झूठी शिकायत दी हो तो वह नहीं बता सकता। इसी क्रम में गवाह पी.डब्ल्यू.9 सरदारसिंह की साक्ष्य पर गौर करे तो उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि मुल्जिमानों ने कनवास टापरियां बस्ती में बछड़ों के द्वारा जंगल में प्रवेश करने एवं चराने के संबंध में सूचना मांगी थी जिसके संबंध में उसके द्वारा पत्र जारी करके बताया गया कि नए प्लांटेशन में विभाग द्वारा मवेशियों की चरवायी करवाना व बछड़ों को प्रवेश करवाना निषेध है। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया कि थाना कनवास ने जिस पत्र के जरिये सूचना मांगी थी वो सावनभादो डेम के आसपास के क्षेत्र की सूचना नहीं मांगी थी। यह कहना सही है कि उसके द्वारा जारी पत्र में वन विभाग का नक्शा व जमीन के खसरा नं.

व जमाबंदी संलग्न नहीं थी।

14. इस प्रकार पत्रावली पर आई तमाम दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का गहनतापूर्वक अवलोकन करने, पत्रावली पर मौजूद सभी गवाहों के मुख्य परीक्षण व प्रतिपरीक्षण का अवलोकन करें तो सर्वप्रथम मुल्जिमान से बछड़ों का जब्त होना साबित किया जाना था। इस संबंध में जप्ती अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू.12 नंदसिंह के बयानों पर गौर करे तो उक्त गवाह अपनी जिरह में यह स्वीकार करता है कि जिस स्थान से बछड़ों को जप्त किया गया, वे खुले जंगल में थे। उनको किसी साधन से परिवहन नहीं किया जा रहा था। वहीं जब्ती के गवाह पी.डब्ल्यू.2 पप्पूलाल व पी.डब्ल्यू.3 जोधराज की साक्ष्य पर एक साथ गौर करे तो जहां पप्पूलाल कथन करता है कि उसे नहीं पता कि बछड़ों को मुल्जिमान कहां से कहां लाए थे। मुल्जिमान को उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया था। पुलिस वालों ने उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। वहीं इस विषय पर गवाह जोधराज कथन करता है कि उसे पता नहीं की वे लोग बछड़ों को कहां से कहां ले जा रहे थे। बछड़े खुले जंगल में ही चर रहे थे। यह बात सही है कि किसी वाहन से उनका परिवहन नहीं किया जा रहा था। यह बात सही है कि पुलिस में उसके कोई बयान नहीं हुए थे। यह बात सही है कि पुलिस ने उससे खाली कागज पर साइन करवाये थे। यह बात सही है पुलिस के आते ही डर के कारण वह जंगल से भाग गया और उसे कुछ पता नहीं। इस प्रकार जब्ती के गवाहों की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है, जो जब्ती की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है।

15. वहीं यह बिंदु कि बछड़ों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया, तो इस विषय में पत्रावली का अवलोकन करे तो यह दर्शित होता है कि विशेषज्ञ साक्षी पी.डब्ल्यू.4 डॉ महावीर प्रसाद, पशु चिकित्सा अधिकारी कथन करता है कि सितंबर 2016 में वह कनवास में पदस्थापित था। वह आंवा गौशाला में बछड़ों का मुआयना करने गया था। यह उसे ध्यान नहीं की वह इसी प्रकरण में गोशाला में बछड़ों का मुआयना करने गया हो। दौराने प्रतिपरीक्षण उक्त गवाह ने यह स्वीकार किया कि इस प्रकरण में उसके द्वारा किसी भी बछड़ों का कोई मेडिकल मुआयना नहीं किया गया और ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली में है। यह बात सही है कि ऐसी कोई मेडिकल रिपोर्ट ना तो उनकी निजी या चिकित्सालय की पत्रावली में है और ना ही न्यायालय की पत्रावली में है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से उक्त तथ्य भी संदेह से परे साबित नहीं हो पाया है कि बछड़ों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया हो।

16. वहीं यह बिंदु कि क्या मुल्जिमान बछड़ों को वध करने के लिए ले जा रहे थे, इस विषय में पत्रावली का अवलोकन करे तो गवाह पी.डब्ल्यू.1 रामदयाल, पी.डब्ल्यू.2 पप्पूलाल, पी.डब्ल्यू.3 पुखराज, पी.डब्ल्यू.5 राजू, पी.डब्ल्यू.6 प्रेमचंद, पी.डब्ल्यू.8 सोनू सैन, पी.डब्ल्यू.11 जोधराज की साक्ष्य पर एक साथ गौर करे तो उक्त गवाहान द्वारा इस आशय का कोई कथन नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि मुल्जिमान द्वारा बछड़ों को वध करने के प्रयोजन से ले जाया जा रहा हो। इस विषय में अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू.12 नंदसिंह के बयानों पर गौर करे तो उक्त गवाह अपनी जिरह में यह स्वीकार करता है कि बछड़े खुले जंगल में चर रहे थे। बछड़ो का किसी भी साधन के द्वारा परिवहन नहीं किया जा रहा था। बल्कि उनको पैदल ही ले जाया जा रहा था। यह कहना सही है कि चरवाहे चोरी चुपे अपने जानवरों को जंगलों में चराते रहते थे। इस बिंदु पर न्यायालय का मत है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसने अनुसंधान के दौरान जिस जगह से बछड़े लाये गये थे, उस जगह जाकर किस प्रयोजन से बछड़ों को ले जाया जा रहा था नहीं पूछा। अनुसंधान अधिकारी ने

भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त बछड़े किसी वाहन में नहीं थे बल्कि पैदल ही जा रहे थे। इस प्रकार जब अनुसंधान अधिकारी द्वारा उस जगह जाकर अनुसंधान ही नहीं किया जहां से बछड़े लाये थे कि किस प्रयोजन से बछड़ों को लेकर आये तो संदेह उत्पन्न होता है कि किस आधार पर यह माना कि मुल्जिमान बछड़ों का वध करने के लिए ले जा रहे थे, जबकि पत्रावली पर चश्मदीद गवाहों द्वारा यह साक्ष्य दी गयी है कि मुल्जिमान बछड़ों का वध करने के लिए ले जा रहे हो तो उन्हें पता नहीं। क्यूंकि बछड़ें खुले जगह में चर रहे थे ना ही उनका परिवहन किया जा रहा था। ऐसे में अनुसंधान अधिकारी द्वारा किस आधार पर मुल्जिमानों को गिरफ्तार किया गया इस तथ्य को अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्णतया साबित नहीं किया गया है जो उक्त प्रकरण की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है।

16. इस प्रकार उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष मुल्जिमान के विरूद्व आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। लिहाजा उपरोक्त वर्णित मुल्जिमानों को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 5, 6/8 राजस्थान गोवंश संरक्षण अधिनियम 1995 के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-ः आदेशः-

अतः अभियुक्त 1. प्रकाश पुत्र विजयसिंह, जाति बंजारा, 2. जगदीश पुत्र मांगीलाल, जाति बंजारा, 3. मनोज पुत्र मंशाराम, जाति बंजारा, निवासीगण ढाबादेह, पुलिस थाना मोडक, जिला कोटा (राज०) को आरोपित अपराध धारा 5, 6/8 राजस्थान गोवंश संरक्षण अधिनियम 1995 में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके तुरंत प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं। तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत धारा 437ए सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार 5000 रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावे।

प्रकरण में जब्तशुदा 36 बछड़े सुपुर्दगी पर दिये गये है। जो बाद गुजरने मियाद अपील रिवीजन नियमानुसार अंतिम समझे जावे।

प्रकरण में अभियुक्त छीतरलाल मफरूर है अतः पत्रावली पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे एवं पत्रावली सुरक्षित रखी जावे।

(पूजा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कनवास, जिला कोटा (राज०)

निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कनवास, जिला कोटा (राज०)